राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 565/2010/झुंझुनूं

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, घट–प्रथम, वृत्त–तृतीय,
जयपुर । .....अपीलार्थी.

बनाम्

श्री रामनिवास जाट पुत्र श्री गोपालराम जाट,
जैतपुरा, उदयपुरवाटी, झुंझुनूं। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक । ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस.के.जैन,
अभिभाषक। ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :05.08.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त–तृतीय, जयपुर द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स–चतुर्थ), जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **03.11.2009** के विरूद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 160/अपील्स–IV/2009–10/ई के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा)द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(9) के तहत् आरोपित शास्ति रू.2,35,122/–को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक **11.09.2008** को जयपुर–सीकर रोड के मोड़ पर चौमू पुलिया के पास प्रातः 3.45 बजे वाहन संख्या–आर.जे.–14–1–जी/7389 को जांच हेतु रोका गया। वाहन में परिवहनीत माल "लोहा" के संबंध में दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी मैसर्स आर.के.स्टील्स, मल्होत्रा नगर, वी.के.आई.ए., जयपुर द्वारा जारी चालान कमांक 2424 व 2420 दिनांक 10.09.2008 तथा मैसर्स जगदम्बा वैज्ञानिक कांटा रोड नं.–01, वी.के. आई.ए., वजन–14650 किलोग्राम वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत किये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह अवधारित

लगातार..............2

किया कि माल से संबंधित "चालान" के अतिरिक्त **वैट इन्वॉयस व बिल्टी** नहीं प्रस्तुत करने पर उक्त को अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन होना अवधारित कर, वाहन को मय माल के निरूद्ध कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी व वाहन चालक को क्रमशः अधिनियम की धारा 76(6) व 76(9) के तहत् शास्ति आरोपण हेतु सशक्त अधिकारी ने नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से श्री लेखाकार श्री कमल किशोर शर्मा ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसे सशक्त अधिकारी ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उक्त प्रस्तुत जवाब पर वाहन चालक/मालिक की ओर से किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है । अतः अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन होना मानकर अधिनियम की धारा 76(9) के तहत् शास्ति आरोपित कर आदेश पारित किया गया । उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। जिसे इस अपील के जरिये चुनौती दी गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी सशक्त अधिकारी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि पारित अपीलीय आदेश अविधिक एवम् अनुचित है। अतः पारित अपीलीय आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(9) में आरोपित शास्ति रूपये 2,35,122/– अविधिक, क्षेत्राधिकार के बाहर, अपूर्ण एवं नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अपने उक्त तर्कों के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम अभिवाक् किया कि विभिन्न परिस्थितियों में वाहन मालिक को यह संदेश नहीं होता है कि वाहन चालक के द्वारा वाहन किस स्थान के लिए बुक किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि माल मालिक के द्वारा कोई भी दस्तावेज वाहन चालक को दिये जाते हैं एवम् यदि उक्त दस्तावेज वाहन चालक द्वारा वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किये जाये या वाहन चालक द्वारा वाहन को रोका नहीं जाये, अधिकारियों से असहयोग किया जाये तो ऐसी स्थिति में, ही वाहन मालिक या वाहन चालक पर अधिनियम के विहित प्रावधानों के तहत् शास्ति आरोपणीय है, जबकि हस्तगत प्रकरण के

लगातार...............3

संबंध ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं हुयी थी बल्कि वाहन चालक द्वारा सशक्त अधिकारी से पूर्ण सहयोग करते हुये वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे, ऐसी स्थिति में, वाहन मालिक के विरूद्ध शास्ति आरोपण अविधिक है। विशिष्ट रूप से कथन किया कि राज्य के अन्दर के अन्दर माल का लाना ले जाने के सम्बन्ध में अधिनियम या उसके नियम में कोई भी पृथक से प्रावधान नहीं हैं। बिल्टी आदि से सम्बन्धित प्रावधान अन्तर्राज्यीय गमनागमन के दौरान परिवहनित माल के सम्बन्ध में है। मौके पर वाहन चालक के द्वारा व्यवहारी के द्वारा दिये गये समस्त दस्तावेज सशक्त अधिकारी के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत किये गये थे जिसे सशक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर, अन्यथा निर्वचन कर, अधिनियम की धारा 76(9) के तहत् शास्ति आरोपित की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने कथन के समर्थन में कर बोर्ड की समन्वय पीठ के न्यायिक दृष्टांत 394/2010/जयपुर निर्णय दिनांक 30.10.2013 व अपील संख्या 563/2010/धौलपुर निर्णय दिनांक 26.06.2013 को प्रोद्धरित कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर, पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी ।

7. पुनः अभिवाक् किया कि सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध दिनांक 11.09.2008 को अभियोग बनाकर फर्म व प्रत्यर्थी श्री रामनिवास पुत्र श्री गोपाल राम के नाम से दिनांक 11.09.2008 को 18.09.2008 के लिये अधिनियम की धारा 76(6) एवं 76(9) के तहत् संयुक्त नोटिस शास्ति आरोपण हेतु जारी किया गया था जिसके संबंध में दिनांक 12.09.2008 को जवाब प्रस्तुत किया गया था, जिसे सशक्त अधिकारी द्वारा स्वीकार कर, माल व वाहन को जमानत पर छोड़ दिया गया। सशक्त अधिकारी के द्वारा माल को छोड़े जाने के उपरांत प्रारम्भिक जवाब होने के बावजूद भी प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति में दिनांक 07.07.2009 को एकपक्षीकय आदेश पारित कर, शास्ति आदेश पारित कर, प्रत्यर्थी को दिनांक 19.09.2009 को जरिये स्पीडपोस्ट आदेश की प्रति प्रेषित की गयी। कथन किया कि उक्त समस्त कार्यवाही सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 08.07.2009 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आम बजट में उड़नदस्तों को समाप्त किये जाने की स्थिति में, पुरानी तारीख में अर्थात् एक दिन पूर्व किया जाना प्रकट किया गया क्योंकि आदेश व मांग पत्र दिनांक 19.09.2009 को डाक के द्वारा प्रेषित किये गये। इस प्रकार सशक्त अधिकारी के द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही विधिक प्रावधानों के विपरीत होने व

लगातार..............4

नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने का कथन कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना कर, अपीलीय आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी।

8. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस को आगे बढ़ाते हुए यह भी अभिकथन किया कि इस प्रकरण में माल के प्रेषक एवं प्रेषिति के नाम, पते, माल की किस्म, मूल्य, पंजीयन संख्या आदि मौके पर उपलब्ध थे तथा परिवहनित माल से सम्बन्धित समस्त सूचना उपलब्ध होने के बावजूद भी कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा बिना छानबीन एवं जॉच–पड़ताल किये शास्ति का आरोपण किया है। प्रकरण में मौके पर वेट इनवाईस एवं बिल्टी नहीं होने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन नहीं होने के बावजूद भी शास्ति आदेश पारित किया जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

9. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। इस संबंध में अधिनियम की धारा 76(6) व 76(9) के प्रावधानों का अध्ययन करना समीचीन होगा । जो इस प्रकार है:–

धारा 76(6).– The Incharge of the check–post or barrier or *"the officer authorized"* under sub–section (4), after having given the owner of the goods or person duly authorised in writing by such owner or person Incharge of the goods, a reasonable opportunity of being heard and after having held such enquiry as he may deem fit, shall impose on him for possession or movement of goods, whether seized or not, in violation of the provisions of *"clause (b) of sub–section (2)"* or for submission of false or forged documents or declaration, a penalty equal to thirty percent of the value of such goods.

धारा 76(9).– Where the owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of the vehicle or the carrier is found guilty for violation of the provisions of sub–section (2), the Incharge of the check–post or barrier or *"the officer authorized"* under sub–section (4) may detain

लगातार...............5

such vehicle or carrier and after affording an opportunity of being heard to such owner, driver or person, may impose a penalty equal to thirty percent of the value of such goods.

10. उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के प्रकाश में तथा रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि पृथक से वाहन मालिक व वाहन चालक को इस संबंध में नोटिस दिये जाने के अभाव में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अवधारित निष्कर्ष विधिसम्मत एवम् उचित है । चूंकि अधिनियम की धारा 76(6) व 76(9) के विधिक प्रावधान पृथक–पृथक व्यक्तियों द्वारा अपराध किये जाने की दशा में शास्ति आरोपण को प्रावधित करते हैं। अतः ऐसी स्थिति में, जहां तक अधिनियम की धारा 76(6) के प्रावधानों का प्रश्न है, इसके अन्तर्गत शास्ति आरोपण का आधार अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन की दशा में भिन्न व्यक्तियों पर शास्ति आरोपण के प्रावधान है जबकि अधिनियम की धारा 76(2)(ए) से (ई) में अन्य परिस्थितियां भी अंकित की गयी है, जिनका उल्लंघन कर, अपराध का कारित करने की दशा में, अधिनियम की धारा 76(9) के अन्तर्गत शास्ति के प्रावधान मालिक अथवा वाहन चालक पर हैं। प्रकरण में निर्णय के लिये अधिनियम की धारा 76(2) के सम्पूर्ण प्रावधानों का अध्ययन करना समीचीन है। धारा 76(2) का मूल पाठ इस प्रकार है:–

धारा 76(2).– The owner or a person duly authorised by such owner or the driver or the person Incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall–

(a) stop the vehicle or carrier at every check post or barrier, and while entering and leaving the limits of the State bring and stop the vehicle at the nearest check post or barrier, set–up under sub–section (1);

(b) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or despatch memos;

(c) produce all the documents including prescribed declaration forms relating to the goods before the Incharge of the check–post or barrier;

(d) furnish all the information in his possession relating to the goods; and

लगातार..............6

(e) allow the inspection of the goods by the Incharge of the check–post or barrier or any other person authorised by such Incharge.

Explanation.– For the purpose of this Chapter 'goods in movement' shall mean –

(i) the goods which are in the possession or control of a transporting agency or person or other such bailee;

(ii) the goods which are being carried in a vehicle or carrier belonging to the owner of such goods; and

(iii) the goods which are being carried by a person.

11. उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के अध्ययन से यह विदित होता है कि मालिक अथवा ऐसा व्यक्ति जिसे मालिक के द्वारा प्राधिकृत किया गया है, अथवा वाहन चालक अथवा वाहन के प्रभारी व्यक्ति अथवा माल का केरियर,वाहन में लदे माल के संबंध में अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के तहत् वहनीत समस्त वस्तुओं के दस्तावेज, जो उसके पास हैं, को प्रस्तुत करेगा। **हस्तगत प्रकरण में वाहन मालिक अथवा वाहन चालक द्वारा माल संबंधी दस्तावेज वाहन के साथ रखे गये बल्कि सशक्त अधिकारी द्वारा जांच के समय इन्हें सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया है। अतः उपर्युक्त वर्णित अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों व तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में,** विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित है। लिहाजा, अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत रखा जाकर, अधिनियम की धारा 76(9) के तहत् सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।

12. परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है ।

13. निर्णय सुनाया गया।

5.8.2014
(मदन लाल)
सदस्य